रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 19, 2002/श्रावण 28, 1924
No. 381] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 19, 2002/SRAVANA 28, 1924

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2002

सा.का.नि. 582(अ).—केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पत्तन न्यास मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (गृह निर्माण अग्रिम संदाय) संशोधन विनियम, 2002 का अनुमोदन करती है।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 (1962 का 28) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पोर्ट का न्यासी मंडल एतद्द्वारा कांडला पोर्ट कर्मचारी (गृह निर्माण अग्रिम संदाय) विनियम 1978 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

I. ये विनियम कांडला पोर्ट कर्मचारी (गृह निर्माण अग्रिम संदाय) संशोधन विनियम, 2002 कहे जायेंगे।

II. ये विनियम इन विनियमों के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

III. **संशोधन**

(I) 5 (घ) के रूप में एक खंड का निम्नवत् अन्त:स्थापन :—

"सहकारी समूह आवास सोसायटियों की सदस्यता द्वारा फ्लैट प्राप्त करना।"

(II) 1. 8(ङ) के रूप में एक खंड का निम्नवत् अन्त:स्थापन :—

यदि विनियम 5(घ) के अनुसार सहकारी समूह आवास सोसायटियों की सदस्यता द्वारा फ्लैट लेने हेतु अग्रिम अपेक्षित है तो जिस भूमि और/अथवा भवन में ये फ्लैट बने हैं उसे बंधक रखे जाने की अनिवार्यता के बिना ही ऐसी सोसायटियों के सदस्य कर्मचारियों को अग्रिम दिया जा सकता है।

बोर्ड का कर्मचारी एक स्वीय बंधपत्र निष्पादित करेगा और साथ ही एक प्रतिभूति बंधपत्र भी प्रस्तुत करेगा। यह प्रतिभूति बंधपत्र ऐसे दो प्रतिभू द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया जाएगा जो कांडला पोर्ट ट्रस्ट/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के यथोचित प्रास्थिति के स्थायी कर्मचारी हों तथा जिनका सेवा काल ऋणी व्यक्ति के ब्याज सहित अग्रिम की वसूली होने की अवधि तक अवश्य हो। ये प्रतिभू/पत्नि अथवा एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य नहीं होने चाहिएं और यथा साध्य वे किसी और व्यक्ति के

लिए प्रतिभू नहीं बने होने चाहिएं।

2. आवास सोसायटी तथा आवेदक कर्मचारियों के मध्य हुए मूल करार, सोसायटी द्वारा जारी किए गए शेयर प्रमाणपत्र, सदस्यों को फ्लैट आबंटित करने के संबंध में सोसायटी से प्राप्त पत्र और सोसायटी को किए गए संदाय संबंधी मूल रसीदें सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जाएं।

3. एक ऐसा प्रमाणपत्र कि सहकारी समूह आवास सोसायटी, संबंधित राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत है, भी प्राप्त किया जाए।

[फा. सं.पी आर-12016/8/2002-पी ई-I]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :

मुख्य विनियम पत्र संख्या पी ई के/59/78 दिनांक 15-9-1978 द्वारा अधिसूचित तथा संसूचित किया गया है और तत्पश्चात् निम्नवत् संशोधन किये गये हैं :-

(1) सा.का.नि. संख्या 659 (अ) दिनांक 15-7-87

(2) सा का.नि. संख्या 891 (अ) दिनांक 24-11-92

स्वीय बंधपत्र

इस विलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि मैं ....., श्री .... का पुत्र (इसमें इसके पश्चात् ''आबद्ध व्यक्ति'' के रूप में निर्दिष्ट है) बोर्ड को अदा की जाने वाली रु..... की उस राशि के लिए कांडला पोर्ट के न्यासी मंडल (इसमें इसके पश्चात् बोर्ड के रूप में निर्दिष्ट है) के प्रति सहमत तथा दृढता से आबद्ध हूं जिसका संदाय सही तौर पर करने हेतु इस विलेख द्वारा मैं स्वयं को, मेरे वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों तथा विधिक प्रतिनिधियों को आबद्ध करता हूं।

दिनांक ..... 20 ..... को हस्ताक्षरित।

यतः आबद्ध व्यक्ति ने एक ऐसे आवासीय फ्लैट का क्रय/निर्माण करने हेतु रु. .....के ऋण (इसमें इसके पश्चात् ''उक्त ऋण'' के रूप में निर्दिष्ट है) के लिए बोर्ड को आवेदन किया है जो .....नामक और वहीं स्थित भवन/सोसायटी में है और इसके नीचे उल्लिखित अनुसूची में विशेष तौर वर्णित है तथा यह भवन शीघ्र ही एक ऐसी .....सोसायटी लिमिटेड में अंतरित होने वाला है जो एक सहकारी सोसायटी है (इसमें इसके पश्चात् ''सोसायटी'' के रूप में निर्दिष्ट है) और जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में स्थित है, इसे बोर्ड द्वारा शर्तों पर तथा अन्य बातों के साथ कि आबद्ध व्यक्ति बोर्ड के पक्ष में इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट रीति से एक बंध-पत्र निष्पादित करेगा, संस्वीकृत किया गया है।

अब यह बंधपत्र उस स्थिति में शून्य हो जाएगा यदि आबद्ध व्यक्ति

(क) ..... दिन ..... वर्ष से ....वर्षों की अवधि के अन्दर रु. .....की उक्त राशि और प्रत्येक कलैंडर माह के प्रथम सप्ताह में पश्चात्वर्ती किस्तें बोर्ड को विधिवत् अदा करता है ऐसी किस्तों की प्रथम किस्त की अदायगी के 20 .....माह के प्रथम सप्ताह में अन्दर किया जाना है और तत्पश्चात् प्रत्येक पश्चातवर्ती कलैंडर माह के प्रत्येक प्रथम सप्ताह में परवर्ती किस्तें अदा की जानी हैं और आबद्ध व्यक्ति द्वारा इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित नियमित किस्तों में उक्त ऋण की मुख्य राशि अदा कर दिए जाने के बाद, आबद्ध व्यक्ति उक्त ऋण की घटी हुई शेष राशियों के ब्याज की राशि .....तत्पश्चात् वर्षों की अतिरिक्त अवधि के अन्दर बोर्ड को बाकायदा अदा करता है जब तक रु.....की समान मासिक किस्तों को ..... तक ..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ऐसे ब्याज की अदायगी नहीं हो जाती कि ऋण तथा उस पर देय ब्याज की समस्त राशि ..... दिन ..... 20 .....से. .....वर्षों की उपबंधित अवधि के अन्दर वापस अदा जो जाए, किन्तु यदि आबद्ध व्यक्ति मुख्य और/अथवा ब्याज की कोई किस्त नियत तारीख तक अदा करने में चूक जाता है तब और ऐसे प्रत्येक मामले में मुख्य अथवा ब्याज की ऐसी किस्त की बकाया राशि.....प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष ब्याज की उच्च दर से युक्त रहेगी और ब्याज की उक्त किस्तों की राशि आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी **परन्तु आगे** कि इसकी किसी भी बात का यह अर्थ न लगाया जाएगा कि इससे मुख्य राशि तथा ब्याज की उक्त किस्तों का उनसे संबंधित नियत तारीखों पर विधिवत् और नियमित रूप से अदा करने में छूट मिलेगी अथवा बोर्ड के किसी अधिकार अथवा उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ख) इन विलेखों की तारीख से एक माह के अन्दर उक्त ऋण के प्रत्येक किस्त की राशि का उपयोग.....में स्थित..... नामक और इसके नीचे उल्लिखित अनुसूची में अति विशेष तौर वर्णित भवन में आवासीय फ्लैट खरीदने/बनाने में करेगा।

(ग) मकान अथवा भूखंड से संबंधित आबद्ध व्यक्ति के पक्ष में अंतरण निष्पादित हो जाने पर वह बोर्ड से प्राप्त ऋण के लिए उसे प्रतिभूति के रूप में न्यासी मंडल के पास बंधक रखेगा।

(घ) बोर्ड की लिखित रूप में पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना उक्त फ्लैट अथवा तत्संबंधी किसी हित का अन्तरण, समनुदेशन नहीं करेगा, कम किराये पर नहीं देगा अथवा उक्त शेयर/डिबेंचरों के किसी भाग को छोड़ेगा नहीं अथवा अंतरित अथवा अन्य संक्रांत नहीं करेगा।

(च) जब तक उक्त ऋण तथा ब्याज अथवा उसका कोई भाग बकाया है और यदि बोर्ड द्वारा यह यथापेक्षित हो तो उक्त ऋण से संबंधित अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में भलीभांति हस्ताक्षरित कोरे अंतरण प्रपत्र सहित सोसायटी के शेयर/डिबेंचर बोर्ड को देगा :

आबद्ध व्यक्ति एतद्द्वारा निम्नवत् सहमति देता है :—

(1) इन विलेखो के अधीन बोर्ड को आबद्ध व्यक्ति द्वारा तत्समय देय उक्त ऋण अथवा तत्संबंधी शेष राशि तथा देय अन्य समस्त धन निम्नलिखित प्रत्येक घटनाओं के घटने पर तत्काल संदेय हो जायेगे :

(क) यदि आबद्ध व्यक्ति देय तथा संदेय हो जाने पर नियत तारीख को कोई भी किस्त को अदा करने अथवा मुख्य राशि का प्रतिसंदाय करने में असफल रहता है।

(ख) यदि आबद्ध व्यक्ति इसमें ऊपर यथा उपबधित नियत तारीख को ब्याज की किसी भी किस्त का संदाय करने में चूक जाता है।

(ग) यदि आबद्ध व्यक्ति की किसी संपत्ति पर कोई कारस्थम अथवा निष्पादन उद्ग्रहीत होता है अथवा उस पर कोई रिसीवर नियुक्त होता है।

(घ) यदि आबद्ध व्यक्ति उक्त प्रसंविदाओ अथवा उपबंधों मे से किसी एक का भी जिसका उसके द्वारा पालन और निष्पादन किया जाना है, भग करता है।

(ङ) यदि आबद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अथवा वह बोर्ड की सेवा मे निवृत्त हो जाता है अथवा सेवा में नहीं रहता है।

(च) यदि आबद्ध व्यक्ति दिवालिया न्याय निर्णीत होने के लिए याचिका प्रस्तुत करता है अथवा दिवालिया न्याय निर्णीत हो जाता है।

(2) बोर्ड को आत्यांतिक अधिकार और पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि वह आबद्ध व्यक्ति के वेतन से प्रति माह मासिक किस्तों की कटौती करे और उसे मुख्य राशि तथा ब्याज के प्रतिसंदाय के लिए उक्त मासिक किस्तो के मद्दे विनियोजित करे और पूर्वोक्त के प्रयोजनार्थ आबद्ध व्यक्ति एतद्द्वारा बोर्ड को अप्रतिसंहरणीय तौर पर आबद्ध व्यक्ति की किसी अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमति की आवश्यकता के बगैर ऐसी कटौती करने हेतु प्राधिकृत करता है।

(3) आबद्ध व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने अथवा सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में बोर्ड को यह अधिकार होगा कि ऐसी सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के समय उक्त ऋण तथा उस पर ब्याज की असंदत्त रही शेष राशि की वसूली ऐसे उपदान से, यदि कोई है मे करे जो आबद्ध व्यक्ति को लागू होने वाले सेवा नियमों के अधीन उसे संस्वीकृत किये जाएं।

(4) जब कभी भी इन विलेखों के अधीन आबद्ध व्यक्ति द्वारा देय तथा संदेय मुख्य राशि अथवा ब्याज अथवा अन्य किसी राशि की कोई किस्त बकाया रहती है तो बोर्ड को यह अधिकार है कि वह भूमि राजस्व के बकाया के रूप में उसकी वसूली करे **परन्तु हमेशा** ही यह कि यह खंड बोर्ड के किसी अन्य अधिकार, शक्तियों तथा उपायों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप उपर्युक्त आबद्ध व्यक्ति ने पहले पैरा में लिखी तारीख को इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची।

श्री

द्वारा हस्ताक्षरित तथा परिदत्त

श्री

आबद्ध व्यक्ति द्वारा निम्न व्यक्तियो की उपस्थिति में हस्ताक्षरित तथा परिदत्त।

I

II

प्रतिभूति बंधपत्र

हम, (1)

(2)

जो (विभाग, आदि) में कार्यरत हैं, एतद्द्वारा स्वयं को श्री/श्रीमती (इसमें इसके पश्चात् आबद्ध व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट है) के लिए प्रतिभू घोषित करते हैं और एतद्द्वारा गारंटी देते हैं कि आबद्ध व्यक्ति ने कांडला पोर्ट के न्यासी मंडल के पक्ष में उसके द्वारा दिनाक को निष्पादित किए गए बंधपत्र के अधीन पालन और निष्पादन करने के जो भी वचन दिये हैं उन सभी का यह पालन और निष्पादन करेगा और आबद्ध व्यक्ति द्वारा चूक करने के परिणामस्वरूप उक्त बंधपत्र के अधीन आबद्ध व्यक्ति द्वारा संदेय नियत राशि के रूप में अथवा बोर्ड को हुए नुकसान अथवा हानि की पूर्ति करने के लिए बोर्ड द्वारा जो भी राशि पर्याप्त समझी जाए उस राशि के रूप में

रु..... ..... (शब्दों में .....) की राशि अदा करने हेतु एतद्द्वारा हम स्वयं को, हमारे संबंधित वारिसों, निष्पादकों तथा प्रशासकों को आबद्ध करते हैं और हम एतद्द्वारा आगे यह भी सहमति देते हैं कि बोर्ड, अन्य अधिकार तथा उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हमसे भूमि राजस्व के रूप में उक्त राशि वसूल कर सकता है और आगे हम एतद्द्वारा यह सहमति देते हैं कि उक्त बंध-पत्र के प्रवर्त्तन में कोई प्रविरति होने अथवा आबद्ध व्यक्ति पर किए गए किसी अन्य अनुग्रह अथवा उक्त बंधपत्र संबंधी उनकी शर्तों अथवा आबद्ध व्यक्ति को किसी समय दिये गये फेरफार से अथवा ऐसी अन्य कोई शर्तें अथवा परिस्थितियां जिनके अधीन विधि के अनुसार प्रतिभू व्यक्ति उन्मोचित हो जाता, हम उक्त राशि अदा करने से संबंधित हमारी देयता से उन्मोचित नहीं होंगे और इस बंधपत्र के अधीन हमारी देयता मुख्य ऋणी तथा उस आबद्ध व्यक्ति के साथ संयुक्त तथा पृथक रूप में रहेगी।

दिनांक ..... को

निम्न व्यक्तियों की उपस्थिति में ..... द्वारा हस्ताक्षरित।

1. ..... विभाग के .....
के श्री .....

और 2. ..... विभाग के .....
के श्री .....

उपरोक्त प्रतिभू व्यक्ति।

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2002

G.S.R. 582(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees (Grant of Advances for Building of Houses) Amendment Regulations, 2002 made by the Board of Trustees of Port of the Kandla as set out in the schedule annexed to this Notification

2 The said regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (28 of 1962), the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following amendment to the Kandla Port Employees (Grant of Advance for Building Houses) Regulations, 1978 namely —

I These Regulations shall be called Kandla Port Employees (Grant of Advance for Building of Houses) Amendment Regulation, 2002

II These shall come into force from the date of publication of these Regulations in the official gazette

III **Amendments**

(i) Insertion of a clause as 5(d) below —

' Acquiring flats through membership of Co-Operative Group Housing Societies "

(ii) I Insertion of a Clause as 8(e) as under

Where the advance is required to acquire flats through membership of co-operative group housing societies as per regulation No 5(d), advance may be granted to the employees who are members of such societies without the necessity of mortgaging the land and/or building, where such flats are situated

The Board employee shall execute a Personal Bond and also furnish a Surety Bond The Surety Bond shall be executed jointly by two sureties who are permanent employees of adequate status of Kandla Port Trust/Central/State Govt employees having sufficient length of service up to the period of recovery of the advance with interest from the loanee The surety should not be husband/wife or member of the same joint family and, as far as practicable, should not have stood surety for anybody else

2 Original agreement between the Housing Society and the applicant employees, the share certificates issued by the Society, the letter from the Society allotting the flat to the members and original receipts for payment made to the Society should be produced for verification

3 A certificate to the effect that the Co-Operative Group Housing Society is registered with the Registrar of Co-Operative Societies of the concerned State should also be obtained

[F No PR-12016/8/2002-PE-I]

R K JAIN, Jt Secy

Foot Note:—Principal Regulation notified and communicated vide letter No. PEK/59/78 dated 15-9-1978 and subsequent amendments made as under —

1 G S R No 659(E) dated 15-7-1987
2 G S R No 891(E) dated 24-11-1992

PERSONAL BOND

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that I, ... son of . . . . (hereinafter referred to as "the Bounden") am held and firmly bound upto the Board of Trustees of the Port of Kandla (hereinafter referred to as Board) in the sum of Rs . .. . to be paid to the Board for which payment will and truly to be made I bind myself, my heirs, executors, administrators and legal representatives by these presents.

SIGNED the . ... day of .. . . 20... .. .

WHEREAS THE BOUNDEN applied to the Board for loan of Rs. . ... (hereinafter referred to as "the said loan") for the purpose of purchase/construction of a residential flat in the building/society known as and situated at . . ..and more particularly described in the Schedule hereunder written and which building in to be transferred shortly to the . . .. .Society Ltd., a Co-operative Society having its Registered Office at (hereinafter referred to as "the Society") which has been duly sanctioned by the Board on the terms and conditions, *inter alia,* that the Bounden do execute in favour of the Board a Bond in the manner hereinafter contained.

NOW THIS BOND IS CONDITIONED TO BE VOID if the Bounden—

(a) duly pays to the Board the said sum of Rupees .. .. within a period of .. .. , years from the . .. . the day of .. . . and subsequent instalments to be paid in the first week of each calendar month, the first of such instalments to be paid in the first week of . ... 20.. .. .. and the subsequent instalments to be paid in the first week of each and every succeeding calendar month thereafter and after the Bounden had paid the principal amount of the said loan in regular instalments as hereinbefore provided, the Bounden duly pays to the Board within a further period of . .. . years thereafter the amount of interest on the diminishing balances of the said loan until payment at the rate of . .. . per cent per annum such interest to be paid by .... equal monthly instalments of Rs . . . each to the interest that the entire loan and interest thereon shall be repaid within a period of . .. . . . years from the . . . . day of 20 .. provided, however, that if the Bounden fails to pay any instalments of principal and / or interest on its due date, then and in every such case the amount of such instalment of principal or interest so in arrears shall bear such higher rate of interest at the rate of.. .... per cent per annum and the amount of each of the said instalments of interest shall be proportionately increased PROVIDED FURTHER that nothing herein contained shall be construed as a relaxation of the Bounden's obligation to duly and punctually pay the said instalments of principal and interest on their respective due dates or otherwise prejudice any right or remedy of the Board

(b) Within one month from the date of these presents utilizes the amount of each instalment of the said loan in the purchase/construction of residential flat in the building known as .... and situated at ....and more particularly described in the Schedule hereunder written

(c) On transfer being executed in favour of the Bounden of the house or plot, he would mortgage it to the Board of Trustees as security for the loan obtained from the Board

(d) Does not transfer, assign, underlet the said flat or any interest therein or part with possession thereof or transfer or otherwise alienate the said shares/debentures without the previous consent in writing of the Board.

(e) So long as the said loan and interest or any part thereof outstanding and if so required by the Board, hand-over the shares/debentures of the Society to the Board along with properly signed blank transfer forms as further security for the said loan ·

IT IS HEREBY AGREED BY THE BOUNDEN AS UNDER :—

(1) The said loan or the balance thereof for the time being due by the Bounden to the Board and all other moneys due under these presents, shall become immediately payable in each and every of the following events:

(a) If the Bounden fails to pay any instalment or repayment of principal on its due date as and when it may, become due and payable

(b) If the Bounden makes default in payment of any instalment of interest on its due date as hereinabove provided.

(c) If any distress or execution shall be levied upon any property of the Bounden or a receiver thereof be appointed.

(d) If the Bounden commits a breach of any one of the said covenants or provisions and on his part to be observed and performed

(e) If the Bounden dies or retires from or ceases to be in the service of the Board

(f) If the Bounden presents a petition for being adjudged insolvent or is adjudicated insolvent

(2) Board shall have the absolute right and full liberty to deduct every month from the Bounden's salary the amount of monthly instalments and appropriate the same towards the said monthly instalments in repayment of principal and interest and for the purpose aforesaid the Bounden hereby irrevocably authorize the Board to take such deductions without the necessity of any further consent or concurrence of the Bounden

(3) In the event of the retirement or death before retirement of the Bounden, Board will be entitled to recover the entire unpaid balance of the said loan remaining unpaid at the time of such retirement or death and all unpaid interest thereon from the gratuity, if any, that may be sanctioned to the Bounden under the service rules applicable to him

(4) Whenever any instalment of the principal or interest or any other sum due and payable by the Bounden under these presents shall be in arrears Board shall be entitled to recover the same as an arrear of land revenue provided always That this clause shall not affect any other rights, powers and remedies of the Board

In witness whereof the Bounden above-mentioned has hereto set his hand the day and year first hereinabove written

THE SCHEDULE ABOVE REFERRED TO

Signed and delivered by

Shri

The Bounden within named in the presence of

1

2

SURETY BOND

We, (1)

(2)

of (Department, etc), do hereby declare ourselves sureties for Shri/Smt (hereinafter referred to as "the Bounden") and do hereby guarantee that the Bounden shall do and perform all that he has undertaken, to do and perform under the Bond, dated the day of 20 executed by him in favour of the Board of Trustees of the Port of Kandla, and do hereby bind ourselves, our respective heirs, executors and administrators to pay a sum of Rs (in words Rupees) being the amount due and payable by the Bounden under the said Bond or such sum as the Board shall deem to be sufficient, to cover any loss or damage the Board may have sustained by reason of default of the Bounden And we do hereby further agree that the Board may without prejudice to any other rights and remedies recover from us the said sum as arrears of land revenue and we do hereby further agree that any forbearance in enforcement of the said Bond or any other indulgence granted to the Bounden, or any variation of their terms of the said Bond or any time given to the Bounden or any other conditions or circumstances under which in law a surety would be discharged will not discharge us from our liability to pay the said sum and for the purpose of enforcement of this Bond our liability under this Bond will be as principal debtors and joint and several with that of the Bounden Dated this day of 20

Signed by in the presence of —

1 Shri of Department Office

and

2 Shri of Department Office

Sureties above-mentioned

Printed by the Manager, Govt of I ss Ring Road Mayapuri New Delhi 110064
and Publ by th Co lications Delhi 110054